



**थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अवैध शराब का निर्माण करते करते हुये 01 अभि० 145 लीटर अवैध शराब, 800 लीटर लाहन तथा शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।**



पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अवैध शराब निर्माण/तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.10.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सबलगाढ़ जैनदीन मजार के पास अवैध शराब की कसीदगी करते हुए अभियुक्त दीपक पुत्र अभयराम निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 145 लीटर अवैध शराब खाम, 800 लीटर लाहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। बरामद 800 लीटर लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया। अभि० दीपक उपरोक्त के अन्य साथी 1-अमित पुत्र

सतपाल, 2-अनुज पुत्र रूपराम, 3-सोनू पुत्र करम सिंह निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु०अ०सं० - 203/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तार अभि० का विवरण:-**

1. दीपक पुत्र अभयराम निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड

**फरार अभि० गण का विवरण**

- 1-अमित पुत्र सतपाल, निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड
- 2-अनुज पुत्र रूपराम, निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड
- 3-सोनू पुत्र करम सिंह निवासी रायघटी लक्सर उत्तराखण्ड

**बरामदगी का विवरण :-**

- 1- 145 लीटर कच्ची शराब।
- 2- 04 रबड ट्यूब
- 3- गैल चूल्हा मय रेगुलेटर व पाईप।
- 4- एक टीन का टुकड़ा
- 5- एक एल्युमिनियम का बड़ा भगोना।
- 6- एक छोटा प्लास्टिक पाईप।
- 7- एक प्लास्टिक का मग नुमा डिब्बा।
- 8- एक प्लास्टिक की गोल कैन।
- 9- एक पाली।
- 10- एक गैस सिलेन्डर बड़ा

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-**

उ०नि० धर्मेन्द्र, का० अनुज शर्मा, का० अजय ठाकुर,

का० शरद पंवार, का० नीरज भाटी, का० प्रदीप कुमार,

थाना हीमपुर दीपा:- थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सुभाष पुत्र नज़रे निवासी ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा को गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त बलकरन पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हल्दौर:- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त भविष्य पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी डूंगरपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 330/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम भविष्य सिंह पंजीकृत किया गया । अभियुक्त सलीम पुत्र नसीम निवासी मौ0 ईदगाह चौकी झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 331/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा एक नफर वारंटी कपिल पुत्र सुरेश चंद निवासी कुकडा थाना हल्दौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना हल्दौर:- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- सचिन पुत्र अशोक कुमार निवासी मौ0 भूड थाना हल्दौर , तालिब पुत्र मौ0 ताहिर निवासी खारी जनपद बिजनौर , अमरजीत पुत्र ब्रहमपाल सिंह निवासी ग्राम फडियापुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



## मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा ग्राम वेदरबखतपुर में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना रेहड पुलिस टीम द्वारा ग्राम रायपुरी बॉर्डर में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



